



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2002/पौष 12, 1923

No. 5]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2002/PAUSA 12, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2002

सा. का. नि. 6 (अ).— केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र (विधि) अधिनियम, 1950 (1950 का 30) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 (1999 का महाराष्ट्र अधिनियम सं० 30) को, जैसा वह महाराष्ट्र राज्य में इस अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :-

उपांतरण

- महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) में, -
 - वृहत् नाम के नीचे आने वाली विद्यमान उद्देशिका का लोप किया जाएगा,
 - “राज्य” और “महाराष्ट्र राज्य” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “राजधानी” और “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र” शब्द रखे जाएंगे ;
 - “राजपत्र” शब्द के स्थान पर जहां जहां वह आता है, “दिल्ली राजपत्र” शब्द रखे जाएंगे ।
- उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
“(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे, उपराज्यपाल, दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।”
- उक्त अधिनियम की धारा 2 में, -
 - खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(कक) “राजधानी” से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है” ;

(ख) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(घघ) “उप-राज्यपाल” से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और अनुच्छेद 239 कक के अधीन इस प्रकार नाम निर्दिष्ट दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का उप-राज्यपाल अभिप्रेत है ;’

(ग) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(छछ) “राज्य सरकार” से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का उप-राज्यपाल अभिप्रेत है ।’

4. उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) में दोनों स्थानों पर “बम्बई उच्च न्यायालय” शब्दों के स्थान पर “दिल्ली उच्च न्यायालय” शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त अधिनियम की धारा 14 में,-

- (i) उपधारा (i) में “पुलिस अधीक्षक” शब्दों के स्थान पर “पुलिस उपायुक्त” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) उपधारा (10) में “अपर पुलिस महानिदेशक” शब्दों के स्थान पर “अपर पुलिस आगुक्त” शब्द रखे जाएंगे ।

6. उक्त अधिनियम की धारा 15 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(2) पुनर्विलोकन समिति में निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i) मुख्य सचिव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी

राज्य क्षेत्र सरकार” ।

(ii) प्रधान सचिव या सचिव,

गृह विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी

राज्य क्षेत्र

(iii) सचिव, विधि और न्यायिक विभाग,

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र

सरकार

7. उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में “पुलिस अधीक्षक” शब्दों के स्थान पर “पुलिस उपायुक्त” शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त अधिनियम की धारा 23 में,-

(क) उपधारा (1) में,-

(i) खंड (क) में “पुलिस उप महानिरीक्षक” शब्दों के स्थान पर “अपर पुलिस आयुक्त” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में “पुलिस उप अधीक्षक” शब्दों के स्थान पर “सहायक पुलिस आयुक्त” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में “अपर पुलिस महानिदेशक” शब्दों के स्थान पर “अपर पुलिस आयुक्त” शब्द रखे जाएंगे।

9. उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) में “राज्य विधान मंडल” शब्दों के स्थान पर “संसद” शब्द रखा जाएगा।

10. उक्त अधिनियम की धारा 29 में,-

(i) उपधारा (1) में “राज्य सरकार” शब्दों के स्थान पर “केन्द्रीय सरकार” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

11. उक्त अधिनियम की धारा 30 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. यू-11015/1/2001-यूटीएल (206)]

श्री के. जलाली, संयुक्त सचिव

उपाबंध

उपाबंध

(महाराष्ट्र का अधिनियम संख्या 30)

संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग द्वारा अपराधिक क्रियाकलापों के निवारण और नियंत्रण और उनका सामना करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए

विशेष उपबंध करने के लिए
अधिनियम

यह समीचीन था कि संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग द्वारा अपराधिक क्रियाकलाप के निवारण और नियंत्रण के लिए और उनका सामना करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए विशेष उपबंध किया जाए ;

और राज्य विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में नहीं थे ;

और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो गया था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए विधि बनाने के लिए तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया था, अतः उन्होंने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अध्यादेश, 1999 को 24 फरवरी, 1999 को प्रख्यापित किया ;

और यह समीचीन है कि उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा

प्रतिस्थापित किया जाए ;

यह भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर है ।

(3) यह 24 फरवरी, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "दुष्प्रेरण" के अंतर्गत, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों

सहित, निम्नलिखित है—

(i) किसी व्यक्ति के साथ, इसकी वास्तविक जानकारी या यह

विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी रीति से किसी संगठित अपराध सिंडीकेट की सहायता करने में लगा हुआ है, संसूचना या सहयोजन ;

(ii) किसी ऐसी जानकारी का, जिससे संगठित अपराध सिंडीकेट में सहायता होने की संभावना है, किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, किसी को देना या प्रकाशित करना और संगठित अपराध सिंडीकेट से अभिप्राप्त किसी दस्तावेज या विषय को किसी को देना या उसका प्रकाशन अथवा वितरण करना ;

(iii) संगठित अपराध सिंडीकेट को, चाहे वित्तीय या अन्यथा, कोई सहायता देना ;

1974 का 2

(ख) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है ;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से धारा 13 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "चालू रहने वाले विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कोई ऐसा क्रियाकलाप अभिप्रेत है, जो तीन वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध है, जो संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के रूप में या ऐसी सिंडीकेट की ओर से जिसके संबंध में पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक आरोप पत्र फाइल किए गए हैं और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया है, एकल या संयुक्त रूप से किया गया है ;

(ङ) "संगठित अपराध" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा, एकल या संयुक्त रूप से, किसी संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के रूप में या ऐसी सिंडीकेट की ओर से हिंसा या हिंसा की धमकी या संत्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य विधिविरुद्ध साधनों द्वारा, धनीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या अपने लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए असम्यक् आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए या राजद्रोह अभिप्रेरित करने के लिए, चालू रखा जाने वाला कोई विधिविरुद्ध क्रियाकलाप ;

(च) "संगठित अपराध सिंडीकेट" से अभिप्रेत है दो या अधिक व्यक्तियों का समूह, जो एकल या सामूहिक रूप से कार्य करते हुए, सिंडीकेट या गैंग के रूप में संगठित अपराध के क्रियाकलापों में लिप्त हैं ;

(छ) "विशेष न्यायालय" से धारा 5 के अधीन गठित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके उस संहिता में है ।

3. (1) जो कोई संगठित अपराध का अपराध करेगा,—

संगठित अपराध
के लिए दंड ।

(i) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और, एक लाख रुपए के न्यूनतम जुर्माने के अधीन रहते हुए, जुर्माने से भी दंडनीय होगा ;

(ii) किसी अन्य दशा में, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जिसका विस्तार आजीवन कारावास तक के लिए किया जा सकेगा, दंडनीय होगा और पांच लाख रुपए के न्यूनतम जुर्माने के अधीन रहते हुए, जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई किसी संगठित अपराध का या संगठित अपराध की तैयारी से संबंधित किसी कार्य का संयंत्र करेगा या उसे करने का प्रयास करेगा या उसका पक्षपोषण करेगा, दुष्प्रेरण करेगा या जानकर उसका करना सुकर बनाएगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जिसका विस्तार आजीवन कारावास तक के लिए किया जा सकेगा, दंडनीय होगा और पांच लाख रुपए के न्यूनतम जुर्माने के अधीन रहते हुए, जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(3) जो कोई किसी संगठित अपराध सिंडीकेट के किसी सदस्य को संश्रय देगा या छिपाएगा या संश्रय देने या छिपाने का प्रयास करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जिसका विस्तार आजीवन कारावास तक के लिए किया जा सकेगा, दंडनीय होगा और पांच लाख रुपए के न्यूनतम जुर्माने के अधीन रहते हुए, जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(4) कोई व्यक्ति, जो किसी संगठित अपराध सिंडीकेट का कोई सदस्य है, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जिसका विस्तार आजीवन कारावास तक के लिए किया जा सकेगा, दंडनीय होगा और पांच लाख रुपए के न्यूनतम जुर्माने के अधीन रहते हुए, जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(5) जो कोई किसी ऐसी संपत्ति को धारण करेगा, जो किसी संगठित अपराध के करने से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई है या जो संगठित अपराध सिंडीकेट की निधियों से अर्जित की गई है, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी

किंतु जिसका विस्तार आजीवन कारावास तक के लिए किया जा सकेगा, दंडनीय होगा और दो लाख रुपए के न्यूनतम जुर्माने के अधीन रहते हुए, जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य की ओर से आलेखादायी धन रखने के लिए दंड।

4. यदि कोई व्यक्ति किसी संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य की ओर से, ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति का कब्जा रखता है या किसी समय रखता रहा है, जिसके लिए वह समाधानपूर्ण रूप में लेखा नहीं दे सकता है, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और एक लाख रुपए के न्यूनतम जुर्माने के अधीन रहते हुए, जुर्माने से भी दंडनीय होगा और ऐसी संपत्ति, धारा 20 में उपबंधित रूप में कुर्की और समपहरण के लिए भी दायी होगी।

विशेष न्यायालय।

5. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक विशेष न्यायालय ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए अथवा ऐसे मामले या ऐसे वर्ग या समूह के मामलों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, गठित कर सकेगी।

(2) जहां किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कोई प्रश्न उठता है, वहां वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

(3) विशेष न्यायालय का पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी। राज्य सरकार, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से किसी विशेष न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर न्यायाधीशों को भी नियुक्त कर सकेगी।

(4) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या किसी अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश न हो।

(5) जहां कोई अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश किसी विशेष न्यायालय में नियुक्त किया जाता है या किए जाते हैं, वहां विशेष न्यायालय का न्यायाधीश, समय-समय पर, लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, स्वयं और अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों के बीच विशेष न्यायालय के कारबार के वितरण के लिए और अपनी अनुपस्थिति अथवा किन्ही अपर न्यायाधीशों की अनुपस्थिति की दशा में अत्यावश्यक कारबार के निपटाने के लिए भी, उपबंध कर सकेगा।

विशेष न्यायालय की अधिकारिता।

6. संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध, यथास्थिति, केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह किया गया था, या धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे

अपराध का विचारण करने के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण करते समय विशेष न्यायालय किसी ऐसे अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिससे अपराधी को, संहिता के अधीन उसी विचारण में, यदि वह अपराध ऐसे अन्य अपराध से संबंधित है, आरोपित किया जा सकेगा।

अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालयों की शक्ति।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का कोई विचारण करने के दौरान, यह पाया जाता है कि अपराधी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है, तो विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध का दोषसिद्ध ठहरा सकेगा और उसके दंड के लिए, यथास्थिति, इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकेगा।

8. (1) प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राज्य सरकार किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक होने के लिए नियुक्त कर सकेगी और एक या अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

लोक अभियोजक।

परंतु यह कि राज्य सरकार किसी मामले या किसी समूह के मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह कम से कम दस वर्ष अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में न रहा हो।

(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति संहिता की धारा 2 के खंड (प) के अर्थान्तर्गत लोक अभियोजक समझा जाएगा और इस संहिता के उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे।

9. (1) कोई विशेष न्यायालय किसी अपराध का, ऐसे तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर जो ऐसा अपराध गठित करते हैं या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, अपराधी को विचारण के लिए उसे सुपुर्द किए गए बिना, संज्ञान ले सकेगा।

विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियां।

(2) जहां किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की न हो या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है, वहां विशेष न्यायालय संहिता की धारा 260 की उपधारा (1) या धारा 262 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपराध का विचारण संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त रूप में कर सकेगा और संहिता की धारा 263 से धारा 265 तक के उपबंध यावत्शक्य,

ऐसे विचारण को लागू होंगे :

परंतु यह कि जहां इस उपधारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में, विशेष न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि उसका संक्षिप्त रूप में विचारण करना अवांछनीय है, तो विशेष न्यायालय किसी साक्षी को, जिसकी परीक्षा की जा चुकी हो, पुनः बुला सकेगा और मामले को संहिता के उपबंधों द्वारा ऐसे अपराध के विचारण के लिए उपबंधित रीति से पुनः सुनने के लिए अग्रसर हो सकेगा और उक्त उपबंध विशेष न्यायालय को और उसके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी मजिस्ट्रेट को और उसके संबंध में लागू होते हैं :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन, किसी संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में, किसी विशेष न्यायालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसे कारावास का कोई दंडादेश पारित करे जिसकी अवधि दो वर्ष से अधिक न हो ।

(3) कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति का, जो किसी अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के लिए अनुमित है या संसर्गी है, साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को उसकी जानकारी के भीतर अपराध से संबंधित संपूर्ण परिस्थितियों का पूर्ण रूप से और सच्चा प्रकटन करने की शर्त पर और प्रत्येक अन्य व्यक्ति को, चाहे वह उसके करने में मुख्य रूप से या दुष्प्रेरक के रूप में संबंधित हो, क्षमा प्रदान कर सकेगा और इस प्रकार प्रदान की गई प्रत्येक क्षमा, संहिता की धारा 308 के प्रयोजनों के लिए, उसकी धारा 307 के अधीन प्रदान की गई समझी जाएगी ।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विशेष न्यायालय को, किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और वह ऐसे अपराध का विचारण यावत्साक्ष्य, सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे करेगा मानो वह सत्र न्यायालय हो ।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण को अग्रता प्राप्त होना ।

10. किसी विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण को किसी अन्य न्यायालय में (जो विशेष न्यायालय न हो) अपराधी के विरुद्ध किसी अन्य मामले में विचारण के ऊपर अग्रता प्राप्त होगी और उसको ऐसे अन्य मामले के विचारण से अधिमान्यता में समाप्त किया जाएगा और तदनुसार ऐसे अन्य मामलों का विचारण प्रस्थगन में रहेगा ।

नियमित न्यायालयों को मामले अंतरण करने की शक्ति ।

11. जहां किसी अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात् किसी विशेष न्यायालय की यह राय हो कि वह अपराध उसके द्वारा विचारण योग्य नहीं है तो वह, इस बात के होते हुए भी कि उसको ऐसे अपराध का विचारण करने की कोई अधिकारिता नहीं है, ऐसे अपराध के विचारण के लिए मामले को संहिता के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी

न्यायालय को अंतरित करेगा और वह न्यायालय, जिसको मामला अंतरित किया गया है, अपराध के विचारण के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानो उसने उस अपराध का संज्ञान लिया था।

12. (1) संहिता में किसी बात के कहते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश की, जो अंतवर्ती आदेश नहीं है, उच्च न्यायालय में अपील होगी।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी।

13. राज्य सरकार, गृह विभाग के अपने किसी ऐसे अधिकारी को, जो उस सरकार के सचिव से नीचे की पंक्ति का नहीं है, इस धारा के प्रयोजन के लिए समक्ष प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

14. (1) ऐसा पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन किसी संगठित अपराध के अन्वेषण का पर्यवेक्षण कर रहा है, सक्षम प्राधिकारी को अन्वेषण करने वाले अधिकारी द्वारा तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना के अवरोधन का अनुमोदित किए जाने के लिए जब ऐसे अवरोधन से किसी संगठित अपराध को अंतर्वलित करने वाले किसी अपराध का कोई साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है या साक्ष्य उपलब्ध करवा दिया है, लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी :—

(क) उस अन्वेषक या विधि प्रवर्तन अधिकारी की, जो आवेदन कर रहा है और आवेदन को प्राधिकृत करने वाले विभागाध्यक्ष की पहचान ;

(ख) उन तथ्यों और परिस्थितियों का कथन जिनका आवेदक द्वारा अपने इस विश्वास को न्यायोचित ठहराने का अवलंब लिया गया है कि कोई आदेश निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए जारी किया जाना चाहिए—

(i) उक्त संगठित अपराध से संबंधित अपराध के ब्यौरे जो हुआ है, हो रहा है, या जो होने वाला है ;

(ii) उन सुविधाओं की प्रकृति और अवस्थिति का जिनसे या उस स्थान का जहां पर संसूचना अवरोधित की जानी है, विशिष्ट वर्णन ;

(iii) उस संसूचना के प्रकार का विशिष्ट वर्णन, जिसका अवरोध किया

जाना ईप्सित है ; और

(iv) उस व्यक्ति की, जो संगठित अपराध का अपराध कर रहा है, यदि ज्ञात हो, पहचान, जिसकी संसूचना को अवरुद्ध किया जाना है ;

(ग) इस बात का कथन कि जांच या आसूचना एकत्रित करने की अन्य पद्धतियों का विचारण किया गया है या नहीं और असफल रहे हैं या यदि विचारण किया गया है तो युक्तियुक्त रूप से सफल होना असंभाव्य प्रतीत होता है या अत्यधिक खतरनाक प्रतीत होता है या अवरोधन के प्रचालन से संबंधित व्यक्तियों की पहचान अभिदर्शित होना संभाव्य है ।

(घ) उस समयावधि का विवरण जिसके लिए अवरोधन बनाए रखना अपेक्षित है । यदि जांच की प्रकृति ऐसी है कि अवरोधन के लिए प्राधिकार तब स्वतः ही समाप्त नहीं होना चाहिए जब वर्णित प्रकार की संसूचना प्रथमतः अभिप्राप्त कर ली गई है, यह विश्वास किए जाने के लिए कि उसी प्रकार की अतिरिक्त संसूचनाएं तत्पश्चात् घटित होंगी, के संभाव्य कारण को स्थापित करने वाले तथ्यों का विशिष्ट वर्णन ;

(ङ) प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति को ज्ञात सभी पूर्व आवेदनों से संबंधित तथ्यों और आवेदन करने, सक्षम प्राधिकारी को तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना को अवरुद्ध करने या अवरुद्ध करने के अनुमोदन के लिए प्राधिकृत करने हेतु किए गए आवेदन, जिसमें उन्हीं व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अंतर्वर्तित है, सुविधाओं या आवेदन में विनिर्दिष्ट स्थानों और ऐसे प्रत्येक आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में विवरण ; और

(च) जहां आवेदन किसी आदेश के विस्तारण के लिए किया गया है, वहां ऐसे अवरोधन से अभिप्राप्त परिणामों को वर्णित करते हुए, कोई विवरण या ऐसे परिणाम अभिप्राप्त करने में असफलता के युक्तियुक्त स्पष्टीकरण ।

(3) समक्ष प्राधिकारी आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य अपने आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत करे ।

(4) ऐसे आवेदन पर, समक्ष प्राधिकारी कारणों को लेखबद्ध करते हुए आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगा या यथाआवेदित या उपांतरित रूप में तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचनाओं के अवरोधन को प्राधिकृत करते हुए या अनुमोदित करते हुए, कोई आदेश जारी कर सकेगा, यदि समक्ष प्राधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह अवधारित करता है कि-

(क) यह विश्वास किए जाने का संभाव्य कारण है कि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन वर्णित और दंडनीय किसी विशिष्ट अपराध को कर रहा है, या किया है या करने वाला है ;

(ख) विश्वास किए जाने का यह संभाव्य कारण है कि उस अपराध से संबंधित विशिष्ट संसूचनाएं ऐसे अवरोधन से अभिप्राप्त हो जाएगी ;

(ग) जांच और आसूचना एकत्रित करने की सामान्य रीतियों का विचारण किया गया है और असफल रहे हैं या विचारण किया गया है तो युक्तियुक्त रूप से सफल होना असंभाव्य प्रतीत होता है या अत्यधिक खतरनाक होना प्रतीत होता है या अवरोधन के प्रचालन से संबंधित व्यक्तियों की पहचान अभिदर्शित होना संभाव्य है ;

(घ) यह विश्वास किए जाने का संभाव्य कारण है कि ऐसे अपराध के होने के संबंध में ऐसी सुविधाएं जिनसे या वह स्थान जहां से तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचनाएं अवरोधित की जानी हैं, या उपयोग किया जाना है या उपयोग की जाने वाली हैं, ऐसे व्यक्ति को पट्टाधृत है या उसके नाम में सूचीबद्ध है, या ऐसे व्यक्ति द्वारा सामान्यतः उपयोग में लाई जाती है ।

(5) इस धारा के अधीन किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अवरोधन को प्राधिकृत करने या अनुमोदित करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा,-

(क) उस व्यक्ति की पहचान, यदि ज्ञात हो, जिसकी संसूचनाएं अवरुद्ध की जानी हैं ;

(ख) उन संसूचना सुविधाओं की प्रकृति और अवस्थिति या वह स्थान जहां अवरोध किए जाने के लिए प्राधिकार दिया गया है ;

(ग) उस संसूचना के प्रकार का विशिष्ट विवरण जिसे अवरुद्ध किए जाने की इप्सा की गई है और उस विशिष्ट अपराध का कथन जिससे यह संबंधित है ;

(घ) उस अभिकरण की, जिसे संसूचनाओं को अवरुद्ध करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उस व्यक्ति की, जिसने आवेदन को प्राधिकृत किया है, पहचान ;

(ङ) वह समयावधि जिसके दौरान ऐसा अवरोधन प्राधिकृत किया गया है जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कथन भी है कि अवरोधन तब स्वतः ही समाप्त होगा या नहीं जब वर्णित संसूचना प्रथमतः अभिप्राप्त कर ली गई हो ।

(6) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करने के तुरन्त पश्चात् किन्तु किसी भी दशा में आदेश पारित किए जाने के सात दिन के पश्चात् नहीं, उसकी एक प्रति धारा 15 के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति को सभी सुसंगत कागजों, अभिलेख और अपने स्वयं के निष्कर्षों, आदि सहित उक्त आदेश की बाबत पुनर्विलोकन समिति द्वारा उस आदेश पर विचार करने और उसका अनुमोदन करने के लिए प्रस्तुत करेगा।

(7) इस धारा के अधीन किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना को अवरुद्ध करने वाले किसी आदेश में आवेदक के अनुरोध पर यह निदेश किया जाएगा कि तार या इलेक्ट्रानिक संसूचना सेवा को उपलब्ध कराने वाला भू-स्वामी, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति आवेदक को तुरन्त सभी सूचना, सुविधाएं और आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा, जिससे अवरोधन अबाध रूप से उन सेवाओं के साथ न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ जारी रह सके जो ऐसी सेवा उपलब्ध कराने वाले भू-स्वामी, अभिरक्षक या उस व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई हैं, जिसकी संसूचनाएं अवरुद्ध की जानी हैं ;

(8) इस धारा के अधीन जारी कोई आदेश, किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अवरोधन को उतनी से अधिक की अवधि के लिए जो प्राधिकार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो या किसी भी दशा में सात दिन की अवधि से अधिक के लिए प्राधिकृत या अनुमोदित नहीं करेगा। सात दिन की ऐसी अवधि, उस दिन के ठीक पूर्व दिन से आरंभ होगी जिसको अन्वेषक या विधि-प्रवर्तन अधिकारी प्रथमतः आदेश के अधीन कोई अवरोधन आरंभ करता है या आदेश जारी किए जाने के दस दिन पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो। किसी आदेश के विस्तारण की मंजूरी दी जा सकेगी किन्तु केवल तब जब उपधारा (1) के अनुसार किसी विस्तारण के लिए कोई आवेदन किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी उपधारा (4) द्वारा अपेक्षित निष्कर्ष पर पहुंचा हो। विस्तारण की अवधि उतने से अधिक नहीं होगी जिसे सक्षम प्राधिकारी उस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे जिसके लिए यह मंजूरी दी गई है और किसी भी दशा में एक समय में सात दिन से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक आदेश और उसके विस्तारण में यह उपबंध होगा कि अवरोधन किए जाने के प्राधिकार का निष्पादन यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा और इस प्रकार या उस रीति में किया जाएगा जिससे कि संसूचना का न्यूनतम अवरोधन किया जाए, अन्यथा नहीं। ऐसा अवरोधन इस धारा के अधीन होगा और यह प्राधिकृत उद्देश्य की प्राप्ति पर या किसी भी दशा में आदेश की अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाना चाहिए। उस दशा में जब अवरुद्ध संसूचना किसी कूट या विदेशी भाषा में है और उस विदेशी भाषा या कूट का विशेषज्ञ उस अवरोधन की अवधि के भीतर गुक्तियुक्त

रूप से उपलब्ध नहीं है तो ऐसे अवरोधन के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से उसका न्यूनतम प्रयोजन पूरा किया जाएगा। इस धारा के अधीन कोई अवरोधन लोक सेवक या किसी राज्य सरकार के साथ संविदा के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, जो ऐसे अवरोधन को करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्वेषक या विधि प्रवर्तन अधिकारी के पर्यवेक्षणधीन कार्य कर रहा है, द्वारा पूर्णतः या भागतः किया जाएगा।

(9) जब कभी अवरोधन को प्राधिकृत करने वाला कोई आदेश इस धारा के अनुसरण में जारी किया जाता है आदेश में यह अपेक्षा की जाती है कि रिपोर्ट उस सक्षम प्राधिकारी को की जानी चाहिए जिसने आदेश जारी किया है, जिसमें प्राधिकृत उद्देश्य की प्राप्ति की ओर हुई प्रगति और अवरोधन की निरंतरता की आवश्यकता दर्शित हो। ऐसी रिपोर्ट ऐसे अंतरालों पर जिन्हें सक्षम प्राधिकारी अपेक्षित समझे की जाएंगी।

(10) इस धारा के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, अपर पुलिस महानिदेशक से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी, व्यक्तिव्युक्त रूप से यह अवधारित करता है कि,—

(क) कोई आपातकालीन स्थिति विद्यमान है जिसमें निम्नलिखित अंतर्वलित है,—

- (i) किसी व्यक्ति की तुरंत मृत्यु का खतरा या शारीरिक क्षति ;
- (ii) ऐसे षडयंत्रकारी क्रियाकलाप जो राज्य की सुरक्षा या हितों को धमकी देते हैं ; या
- (iii) उन षडयंत्रकारी क्रियाकलाप, संगठित अपराधों की विशेषताएं, जिनके लिए किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना का अवरुद्ध किया जाना किसी आदेश से पूर्व अपेक्षित है, सक्षम प्राधिकारी से ऐसे अवरोधन को प्राधिकृत करने के लिए कोई आदेश सम्यक् तत्परता बरतते हुए अभिप्राप्त किया जाए, और

(ख) और ऐसे आधार हैं जिन पर अवरोधन प्राधिकृत करने के लिए इस धारा के अधीन कोई आदेश जारी किया जा सकता है,

अन्वेषण करने के लिए पुलिस अधिकारी को ऐसे तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना को अवरुद्ध करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा, यदि अवरोधन को अनुमोदित करने के लिए किसी आदेश के लिए कोई आवेदन उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अवरोधन होने या अवरोधन प्रारंभ होने के पश्चात् 48 घंटे के भीतर किया गया है।

(11) उपधारा (10) के अधीन अवरोधन को अनुमोदित करने के लिए किए गए किसी आदेश के अभाव में, ऐसा अवरोधन तब तुरंत समाप्त हो जाएगा जब संसूचना अभिप्राप्त हो गई है या आदेश के लिए किए गए आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, जो भी पूर्वतर हो। उस दशा में जहां उपधारा (4) के अधीन अवरोधन को अनुज्ञात करने के लिए कोई आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है या उपधारा (10) के अधीन अनुमोदन के लिए कोई आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है या किसी अन्य दशा में कोई अवरोधन कोई आदेश जारी किए बिना ही समाप्त कर दिया गया है, अवरुद्ध किए गए किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु को इस धारा के उल्लंघन में अभिप्राप्त किया गया समझा जाएगा।

(12) (क) इस धारा द्वारा प्राधिकृत किसी साधन द्वारा अवरोध किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु, यदि संभव हो तो, टेप या तार या अन्य तुल्य युक्तियुक्त पर अभिलिखित की जाएगी। इस उपधारा के अधीन किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु का अभिलेखन का ऐसी रीति से किया जाएगा जो सम्पादन या अन्य परिवर्तनों से अभिलेखन संरक्षण करेगा। आदेश या उसका विस्तार की अवधि के समाप्त होते ही ऐसे अभिलेखन ऐसा आदेश जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराए जाएंगे और उसके निदेशाधीन मुहरबंद किए जाएंगे। अभिलेखन की अभिरक्षा वहां की जाएगी जहां के लिए सक्षम प्राधिकारी आदेश दें। वह सक्षम प्राधिकारी के आदेश के सिवाय विनष्ट नहीं किए जाएंगे और किसी भी दशा में दस वर्ष तक रखे जाएंगे।

(ख) इस धारा के अधीन किए गए आवेदन और जारी किए गए आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुद्रांकित किए जाएंगे। आवेदनों और आदेशों की अभिरक्षा वहां होगी जहां सक्षम प्राधिकारी निदेश दें और उन्हें सक्षम प्राधिकारी के आदेश के सिवाय नष्ट नहीं किया जाएगा और किसी भी दशा में दस वर्ष तक रखा जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी, प्रस्ताव फाइल किए जाने पर स्वविवेकानुसार, ऐसी अवरुद्ध संसूचनाओं, आवेदनों और आदेशों के ऐसे भाग को, जिसे सक्षम प्राधिकारी न्याय के हित में अवधारित करता है, ऐसे व्यक्ति या उसके काउंसिल को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करा सकेगा।

145
16
13) संहिता 1, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए
मामले भी, इस धारा के अधीन तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के माध्यम से संगृहीत
साक्ष्य, किसी मामले के विचारण के दौरान न्यायालय में अभिशुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के
रूप में ग्राह्य होगी :

परन्तु इस धारा के अनुसरण में अवरुद्ध किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक
संसूचना की अन्तर्वस्तु या उनसे प्राप्त साक्ष्य किसी न्यायालय में तब तक किसी
विचारण, सुनवाई या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में ग्रहण नहीं की जाएगी या अन्यथा
प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि प्रत्येक पक्षकार को विचारण, सुनवाई या कार्यवाही
के कम से कम दस दिन पूर्व सक्षम प्राधिकारी के आदेश की ओर उस आवेदन की
जिसके अधीन अवरोध प्राधिकृत या अनुमोदित किया गया था, एक प्रति न दे दी गई
है।

परन्तु यह और कि दस दिन की इस अवधि का, मामले का विचारण कर रहे
न्यायाधीश द्वारा अधित्यजन किया जा सकेगा यदि वह पाता हो कि विचारण, सुनवाई या
कार्यवाही के दस दिन पूर्व उपर्युक्त जानकारी पक्षकार को दे पाना संभव नहीं था और
पक्षकार पर ऐसी जानकारी प्राप्त करने में विलंब के कारण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) 'तार संसूचना' से उद्भव के बिन्दु और संयोजन के बिन्दु के बीच,
उद्भव के बिन्दु और प्राप्ति के बिन्दु (जिसके अन्तर्गत स्विचिंग स्टेशन में ऐसे
संयोजन का प्रयोग भी है) तार, केबिल या अन्य वैसे ही संयोजन की सहायता से
संसूचनाओं के पारेषण के लिए सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से पूर्णतः या
भागतः कोई श्रवण संबंधी अन्तरण अभिप्रेत है ;

(ख) 'मौखिक संसूचना' से ऐसी प्रत्याशा को प्रदर्शित करने वाले किसी
व्यक्ति द्वारा उच्चारित कोई मौखिक संसूचना अभिप्रेत है कि ऐसी संसूचना ऐसी
प्रत्याशा को उचित ठहराने वाली परिस्थितियों के अधीन अवरोध के अंध्यधीन नहीं
है किंतु किसी ऐसे पद में कोई इलेक्ट्रानिक संसूचना सम्मिलित नहीं है ;

(ग) 'इलेक्ट्रानिक संसूचना' से किसी ऐसे तार, रेडियो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक,
फोटो इलेक्ट्रानिक, फोटो ऑप्टिकल सिस्टम द्वारा पूर्णतः या भागतः पारेषित चिन्ह
संकेत, लेख, बिंब, ध्वनि, आंकड़ा या किसी प्रकृति की आसूचना का अंतरण
अभिप्रेत है जो अंतर्देशीय या विदेशी वाणिज्य को प्रभावित करती है किन्तु इसमें
निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है, -

(i) कार्डहीन टेलीफोन संसूचना का रेडियो भाग जो बेतार टेलीफोन हैंडसेट

और आधार यूनिट के बीच पारेषित किया जाता है ;

(ii) कोई बेतार या मौखिक संसूचना ;

(iii) केवल पेजिंग युक्ति टोन के माध्यम से दी गई कोई संसूचना ; या

(iv) किसी ट्रेकिंग युक्ति से कोई संसूचना

(घ) 'अवरोध' से किसी इलेक्ट्रानिक या यांत्रिक या अन्य युक्ति के उपयोग को माध्यम से तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना द्वारा अंतर्वस्तु का श्रवण संबंधी या अन्य अर्जन अभिप्रेत है ।

प्राधिकार आदेशों
के पुनर्विलोकन के
लिए पुनर्विलोकन
समिति का गठन

15. (1) धारा 14 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए एक पुनर्विलोकन समिति होगी ।

(2) पुनर्विलोकन समिति निम्नलिखित पदेन सदस्यों से मिलकर बनेगी अर्थात् :-

(i) सरकार के मुख्य सचिव

अध्यक्ष

(ii) गृह विभाग में, यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या ज्येष्ठतम प्रधान सचिव - सदस्य

(iii) विधि कार्य या विधि और न्याय विभाग का प्रधान सचिव या सह सचिव और

परामर्शी

- सदस्य

(3) धारा 14 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखा गया, पुनर्विलोकन समिति द्वारा इसकी प्राप्ति के पश्चात् 10 दिन के भीतर यह विनिश्चय करने के लिए विचार किया जाएगा कि क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन को प्राधिकृत या अनुमोदित करना अथवा आपात स्थिति में उस धारा की उपधारा (10) के अधीन किए गए अवरोध, या अवरोध के अननुमोदन का आदेश आवश्यक है, युक्तियुक्त और औचित्यपूर्ण था ।

(4) पुनर्विलोकन समिति, संपूर्ण अभिलेख की जांच करने और ऐसी जांच, यदि कोई आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात् लिखित रूप में आदेश द्वारा या तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अनुमोदित कर सकेगी या उसे अनुमोदित करते हुए आदेश जारी कर सकेगी । पुनर्विलोकन समिति द्वारा अनुमोदन का आदेश जारी करने पर, पहले से ही आरंभ हुए अवरोध, यदि कोई है, तत्काल रोक दिया जाएगा । तदुपरि

टैप तार या अन्य युक्ति के रूप में अवरुद्ध संसूचना, यदि कोई है, किसी मामले में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगी और उसे नष्ट किए जाने के लिए निदेश दिया जाएगा ।

प्रतिपिद्ध तार
इलेक्ट्रानिक या
मौखिक संसूचनाओं
का अवरोध और
प्रकटन

16. धारा 14 में, जैसा अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है, उसके सिवाय कोई पुलिस अधिकारी जो -

कोई पुलिस अधिकारी, जो -

(क) किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना को साशय अवरुद्ध करता है, अवरुद्ध करने का प्रयास करता है या कोई अन्य व्यक्ति अवरुद्ध करने या अवरुद्ध करने का प्रयास करने के लिए उपाप्त करता है ;

(ख) किसी इलेक्ट्रानिक, यांत्रिक या अन्य युक्ति को किसी मौखिक संसूचना के अवरुद्ध करने के लिए साशय उपयोग करता है, उपयोग करने का प्रयास करता है, या किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने या उपयोग करने का प्रयास करने के लिए उपाप्त करता है तब -

(i) ऐसी युक्ति जो किसी तार केबिल या अन्य वैसे ही तार संसूचना में प्रयुक्त संयोजन के माध्यम से जुड़ी हुई है या अन्यथा संकेत पारेषित करती है ; या

(ii) ऐसे युक्ति रेडियो द्वारा संसूचनाएं पारेषित करती है या ऐसी संसूचना के पारेषण में हस्तक्षेप करती है ;

(ग) जान-बूझकर या यह जानने का कारण देते हुए भी कि जानकारी इस उपधारा के अतिलघन में तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अवरोधों के माध्यम से अभिप्राप्त की गई थी, किसी तार, इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु किसी अन्य व्यक्ति को साशय प्रकट करती है या प्रकट करने का प्रयास करती है ।

(घ) जान-बूझकर या यह जानने का कारण देते हुए भी कि जानकारी इस उपधारा के अतिलघन में किसी तार इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना के अवरोधों के माध्यम से अभिप्राप्त की गई थी, किसी तार इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु का साशय प्रयोग करती है या करने का प्रयास करती है ; या

(ङ) (i) धारा 14 द्वारा प्राधिकृत साधनों द्वारा अवरोध किसी तार इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु साशय किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करती है या प्रकट करने का प्रयास करती है ;

(ii) जान-बूझकर या यह जानने का कारण देते हुए भी कि जानकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी दांडिक अन्वेषण के संबंध में ऐसी किसी संसूचना के अवरोध के माध्यम से अभिप्राप्त की गई ;

(iii) किसी दांडिक अन्वेषण के संबंध में जानकारी अभिप्राप्त या प्राप्त की गई थी ; और

(iv) सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी दंडिक अन्वेषण को अनुचित रूप से अवरुद्ध करने में अड़चन डालने या हस्तक्षेप करने के आशय से ; या

(च) धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन पुनर्विलोकन समिति द्वारा अननुमोदन का आदेश जारी करने के पश्चात् किसी तार इलेक्ट्रानिक या मौखिक संसूचना का अवरोध साशय करता रहता है, ऐसे अतिलंघन के लिए कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी और ऐसे जुमाने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

साक्ष्य के विशेष नियम 17. (1) संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराधों या संबद्ध अपराधों के विचारण और दंड के प्रयोजनों के लिए, न्यायालय इस तथ्य को कि अभियुक्त -

(क) किसी पूर्व अवसर पर संहिता की धारा 107 या धारा 110 के अधीन आरुद्ध था ;

(ख) निवारक अवरोध से संबंधित किसी विधि के अधीन निरुद्ध था; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय में किसी पूर्व अवसर पर अभियोजित किया गया था,

प्रमाणक मूल्य पर सम्यक विचार कर सकेगा ।

(2) जहां यह साबित हो जाता है कि कसी संगठित अपराध में अंतर्वलित कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई व्यक्ति किसी भी समय ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति के कब्जे में है या रहा है जिसको समाधानप्रदरूप से गणना में नहीं लिया जा सकता विशेष न्यायालय, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति या आर्थिक संसाधन उसके विधिविरुद्ध कार्यकलापों द्वारा अर्जित या उपाप्त किए गए हैं ।

(3) जहां यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण किया हो तो वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्तिधन के लिए किया गया था ।

पुलिस अधिकारी को की गई कतिपय संस्वीकृतियों पर विचार किया जाना

18.(1) संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किसी बात के होते हुए किन्तु इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में या कैसेट, टेप, ध्वनि, ट्रैक जैसी किसी यांत्रिक युक्ति द्वारा जिससे ध्वनि या बिम्ब पुनःउत्पादित किया जा सकता है अभिलिखित संस्वीकृति, ऐसे व्यक्ति

1872 का 1

या सह अभियुक्त, दुष्प्रेरक षडयंत्रकारक के विचारण में ग्राह्य होंगी ;

परंतु यह तब जब कि सह अभियुक्त दुष्प्रेरक या षडयंत्रकारक हो, उसी मामले में अभियुक्त के साथ अग्रोपिद किया जाता है और उसका विचारण किया जाता है ।

(2) संस्वीकृति मुक्त परिवेश में उसी भाषा में अभिलिखित की जाएगी जिसमें व्यक्ति की परोक्षा की जाती है और जैसा उसके द्वारा बताया जाता है ।

(3) पुलिस अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व संस्वीकृत करने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट करेगा कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता हो तो इसका उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी संस्वीकृति को तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक कि उसे करने वाले व्यक्ति से पूछताछ करके उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह स्वैच्छिक रूप से की जा रही है । संबद्ध पुलिस अधिकारी ऐसी स्वैच्छिक संस्वीकृति अभिलिखित करने के पश्चात संस्वीकृति के नीचे तारीख और उसके समय का उल्लेख करते हुए ऐसी संस्वीकृति की स्वैच्छिक प्रकृति का अपना निजी समाधान होने के बारे में प्रमाणित करेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक संस्वीकृति तत्काल उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी जिसमें ऐसी संस्वीकृति अभिलिखित की गई है और ऐसा मजिस्ट्रेट इस प्रकार प्राप्त अभिलिखित संस्वीकृति को विशेष न्यायालय को अग्रोपिद करेगा जो अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।

(5) वह व्यक्ति भी, जिससे उपधारा (1) के अधीन संस्वीकृति अभिलिखित की गई है, उस मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसको अनावश्यक विलंब के बिना लिखित रूप में या यात्रिक युक्ति पर अभिलिखित संस्वीकृति के मूल कथन के साथ उपधारा (4) के अधीन संस्वीकृति का भेजा जाना अपेक्षित है ।

(6) मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इस प्रकार पेश किए गए अभियुक्त द्वारा किए गए कथन को, यदि कोई है, निष्ठापूर्वक अभिलिखित करेगा और उसके हस्ताक्षर करवाएगा और यातना की शिकायत की दशा में व्यक्ति को सहायक सिविल सर्जन से अन्वून पंक्ति के चिकित्सा अधिकारी के समक्ष चिकित्सीय जांच के लिए पेश किए जाने का निदेश देगा ।

साक्षियों का
संरक्षण

19.(1) संहिता में किसी बात को होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही, यदि विशेष न्यायालय ऐसा चाहे तो बंद कमरे में होंगी ।

(2) विशेष न्यायालय, उसके समक्ष किसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा किए गए किसी आवेदन पर या स्वप्रेरणा से उपाय कर सकेगा जो वह किसी साक्षी की पहचान और पता गुप्त रखने के प्रयाजन के लिए ठीक समझे।

(3) विशिष्टतया और उपधारा (2) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन उपायों में, जो विशेष न्यायालय उस उपधारा के अधीन कर सकेगा, निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे, -

(क) ऐसे स्थान पर कार्यवाहियों का संचालन करना जो विशेष न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाए ;

(ख) जनता तक पहुंच योग्य मामले के अपने आदेशों या निर्णयों या किसी अभिलेख में साक्षियों के नाम और पते का उल्लेख करने से बचना ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निदेश जारी करना कि साक्षियों की पहचान और पते प्रकट नहीं किए जाते ;

(घ) यह आदेश करना लोकहित में है कि ऐसे न्यायालय के समक्ष लंबित सभी या कोई कार्यवाही किसी रीति में प्रकाशित नहीं की जाएगी।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

संपत्ति
समपहरण
कुर्की।

20. (1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया ~~के लिए जाया~~ गया है वहां विशेष न्यायालय किसी दंड दिए जाने के साथ-साथ लिखित रूप में आदेश द्वारा घोषणा कर सकेगा कि अभियुक्त के जंगम या स्थावर या दोनों, कोई संपत्ति और जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, सभी विलंगगमों से मुक्त राज्य सरकारों को समपहृत हो जाएगी।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण कर रहा विशेष न्यायालय इसके लिए स्वतंत्र होगा कि वह ऐसा आदेश पारित करे कि उसकी सभी या कोई जंगम या स्थावर संपत्ति या दोनों, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान जब रहेगी और जहां ऐसे विचारण दोषसिद्ध में समाप्त होता है, इस प्रकार जब की गई संपत्ति, सभी विलंगगमों से मुक्त राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगी।

(3) (क) यदि धारा 14 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी पर्यवेक्षी अधिकारी के

अनुमोदन से अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा की गई लिखित रिपोर्ट पर किसी विशेष न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, भाग गया है या स्वयं को इस प्रकार छिपता रहा है कि उसे पकड़ा नहीं जा सके वहां ऐसा न्यायालय, संहिता की धारा 82 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उससे किसी विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर जो उद्घोषणा की तारीख से 15 दिन से कम नहीं होगी किंतु 30 दिन से अधिक नहीं होगी, हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए एक लिखित उद्घोषणा कर सकेगा।

परंतु यदि अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी उस अभियुक्त को जो भाग गया है या जिसने स्वयं को छिपा लिया है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध रजिस्टर करने की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर गिरफ्तार करने में असफल रहता है तो वह अधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति पर उद्घोषणा जारी करने के लिए विशेष न्यायालय को रिपोर्ट देगा।

(ख) खंड (क) के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला विशेष न्यायालय, उद्घोषित व्यक्ति के जंगम या स्थावर या दोनों, किसी संपत्ति की जब्ती के आदेश कर सकेगा और ऐसी जब्ती को संहिता की धारा 83 से 85 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों ऐसी जब्ती उस संहिता के अधीन की गई हो।

(ग) यदि जब्ती की तारीख से 6 मास के भीतर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति संहिता की धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार के व्ययन पर है या रही है, स्वैच्छिक रूप से उस विशेष न्यायालय के समक्ष उपसंजात होता है या पकड़ा जाता है और लाया जाता है जिसके निदेश से संपत्ति जब्ती की गई थी या ऐसे न्यायालय जिसके ऐसा न्यायालय अधीनस्थ है या ऐसे न्यायालय के समाधान रूप में यह साबित करता है कि वह भागा नहीं या उसने पकड़े जाने से छिपने के प्रयोजन के लिए छिपाया नहीं था और उसने उद्घोषणा की ऐसी सूचना प्राप्त नहीं की थी जिससे वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर हाजिर होने में समर्थ हो सके, ऐसी संपत्ति या तो उसका शुद्ध आगम और संपत्ति का अवशेष, जब्ती के परिणामस्वरूप उपगत सभी लागत उससे कटौती करने के पश्चात्, उसे परिदत्त कर दिया जाएगा।

संहिता के कतिपय उपबंधों का उपांतरित रूप में लागू होगा।

21. (1) इस संहिता में या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध, संहिता की धारा 2 के खंड ग के अर्थान्तर्गत संज्ञेय अपराध समझा जाएगा और खंड में यथा परिभाषित संज्ञेय मामला तदनुसार अर्थान्वित किया जाएगा।

(2) संहिता की धारा 167 ऐसे मामले के संबंध में जिसमें इस अधिनियम के

अधीन दंडनीय अपराध अंतर्गस्त है इन उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगी कि उपधारा (2) में,-

(क) पन्द्रह दिन और साठ दिन के प्रति निर्देश से या जहां कहीं वे आते हैं,

क्रमशः तीस दिन और नब्बे दिन के प्रति निर्देश समझा जाएगा ।

(ख) पंरतुक के पश्चात्, निम्नलिखित पंरतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

परंतु यह और कि यदि अन्वेषण नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर पूरा करना संभव नहीं है तो विशेष न्यायालय अन्वेषण की प्रगति उपदर्शित करते हुए लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर और अभियुक्त को नब्बे दिन की उक्त अवधि से परे निरोध के लिए निम्नलिखित कारणों पर उक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिन तक बढ़ाएगा ।

(3) संहिता की धारा 438 की कोई बात ऐसे किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी जिसमें इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को किए जाने के अभियोजन पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्गस्त है ।

(4) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियुक्त व्यक्ति यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या निजी बंधपत्र पर तब तक उन्मुक्त किया जाएगा जब तक कि-

(क) लोक अभियोजक को ऐसी उन्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने के लिए अवसर न दे दिया गया हो ; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान कोई अपराध करने की संभावना है ।

(5) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को जमानत मंजूर नहीं की जाएगी यदि न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि वह इस अधिनियम के अधीन या प्रश्नगत अपराध की तारीख पर किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध में जमानत पर था ।

(6) उपधारा 4 में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने पर परिसीमाएं, जमानत मंजूर करने के लिए संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं ।

(7) न्यायिक अभिरक्षा से या अभ्यारोपण पूर्व विचारण पूर्व पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति की अभिरक्षा चाहने वाला पुलिस अधिकारी ऐसी अभिरक्षा चाहने के लिए कारण की व्याख्या सहित और पुलिस अभिरक्षा चाहने में विलंब, यदि कोई हो, के लिए

भी लिखित कथन फाइल करेगा।

धारा 3 के अधीन
अपराध के बारे में
उपधारणा।

22. (1) धारा 3 के अधीन दंडनीय किसी संगठित अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है,-

(क) अवैध आयुध और अन्य सामग्री जिसके अंतर्गत दस्तावेज या कागजात भी है अभियोजक के कब्जे से बरामद पाए गए हैं यह विश्वास करने के लिए कारण है कि ऐसे अवैध आयुध और अन्य सामग्री जिसके अंतर्गत दस्तावेज या कागजात भी है ऐसा अपराध करने में प्रयुक्त हुए थे ; या

(ख) किसी विशेषज्ञ के साक्ष्य द्वारा, अभियुक्त की अंगुली छाप अपराध के स्थल पर पाई गई थी या ऐसे अपराध को करने में संबंध में कोई चीज, जिसके अंतर्गत अवैध आयुध और अन्य सामग्री जिसमें दस्तावेज या कागजात और यान प्रयुक्त हुए थे

विशेष न्यायालय जब तक कि इसके प्रतिकूल यह साबित न हो जाए उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया था।

(2) धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन दंडनीय किसी संगठित उपधारा के अभियोजन में, यदि यह स्थापित हो जाता है कि किसी अभियुक्त ने ऐसे संगठित अपराध के संगठित या युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध किसी व्यक्ति को कोई वित्तीय सहायता दी थी तो विशेष न्यायालय जब तक कि इसका प्रतिकूल यह साबित न हो जाए यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त उपधारा 2 के अधीन अपराध किया है।

अपराध का संज्ञान
और उसका
अन्वेषण।

23. (1) संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी संगठित अपराध करने के बारे में जानकारी पुलिस उप महानिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं की जाएगी ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से न्यून पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

(2) विशेष न्यायालय अपर पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से अन्यून पुलिस अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

लोक सेवकों को
उनके कर्तव्यों के
निर्वहन में
असफल होने पर
दंड।

24. जो कोई लोक सेवक होते हुए, धारा 2 के खंड (ड) में, यथापरिभाषित, संगठित अपराध के किए जाने में, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात् कोई सहायता देता है या किसी

रीति में उसका समर्थन करता है या इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक उपाय करने से प्रवृत्त रहता है या साशय या इस संबंध में किसी न्यायालय के या ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी के दिशों का अनुपालन करने से बचता है तो वह किसी भी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

अध्यारोही
प्रभाव

25. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंध या ऐसे किसी नियम के अधीन किया गया कोई आदेश, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी कार्यावी होंगे।

सदभाव पूर्वक की
गई कारवाई के
लिए संरक्षण।

26. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी ऐसे नियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सदभवपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

अवरोधों की
वार्षिक रिपोर्ट।

27. (1) राज्य सरकार निम्नलिखित का पूर्ण ब्यौरा देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराएगी,-

(i) पुलिस विभाग से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए अवरोधों के प्राधिकारों के लिए आवेदनों की संख्या जिनमें अभियोजन आरंभ किया गया है ;

(ii) अनुज्ञात या रद्द किए गए ऐसे आवेदनों की संख्या ;

(iii) आपात स्थितियों में किए गए अवरोधों की संख्या भूतलक्षी प्रभाव से ऐसे मामलों में मंजूर किए गए या रद्द किए गए प्राधिकारों या अनुमोदनों की संख्या ;

(iv) ऐसे अवरोधों पर आधारित आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या और ऐसे अवरोधों से पारिणामिक दोषसिद्धि साथ ही प्राधेकृत अवरोधों की उपयोगिता और महत्व का सामान्य मूल्यांकन देते हुए व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) ऐसी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के पूर्ण होने के तीन मास के भीतर राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी :

परंतु यदि राज्य सरकार की यह राय है कि वार्षिक रिपोर्ट में किसी मामले का शामिल किया जाना राज्य की सुरक्षा या किसी संगठित अपराध के निवारण या खोज पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा तो राज्य सरकार ऐसे मामले को ऐसी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल

किए जाने से अपवर्जित कर सकेगी।

उच्च न्यायालय
की नियम बनाने
की शक्ति।

28. उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकेगा जिन्हें वह विशेष न्यायालयों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

राज्य सरकार की
नियम बनाने की
शक्तियां।

29. (1) धारा 28 के अधीन नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहाँ वह सत्र में हो, कुल तीन दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए और ऐसे विनिश्चय को राजपत्र में अधिसूचित कर ऐसा नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1999 के महाराष्ट्र
अध्यादेश का
निरसन।

30. (1) महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अध्यादेश, 1999 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, यथास्थिति, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या की हुई समझी जाएगी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2002

G.S.R. 6(E).— In exercise of the powers conferred by section 2 of the Union Territories (Laws) Act, 1950 (30 of 1950), the Central Government hereby extends to the National Capital Territory of Delhi, the Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 (Maharashtra Act No. XXX of 1999), as in force in the State of Maharashtra on the date of this notification, subject to the following modifications, namely:-

Modifications

1. In the Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 (hereinafter referred to as the said Act),
 - (i) the existing Preamble occurring below the long title shall be omitted ;
 - (ii) for the words, "State" and "State of Maharashtra", the words "Capital" and "the National Capital Territory of Delhi", shall respectively be substituted;
 - (iii) for the words, "Official Gazette", wherever they occur, the words "Delhi Gazette", shall be substituted.
2. In the said Act, in section 1, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification, in the Delhi Gazette, appoint."

3. In the said Act, in section 2, --

(a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(aa) “Capital” means the National Capital Territory of Delhi’;

(b) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(dd) “Lieutenant Governor” means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the Constitution;’

(c) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(gg) “State Government” means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi.’

4. In the said Act, in section 5, in sub-section (3), at both the places, for the words “Bombay High Court”, the words “Delhi High Court” shall be substituted.

5. In the said Act, in section 14, --

(i) in sub-section (1) for the words “Superintendent of Police”, the words “Deputy Commissioner of Police” shall be substituted;

(ii) in sub-section (10), for the words “Additional Director General of Police”, the words “Additional Commissioner of Police” shall be substituted.

6. In the said Act, in section 15, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

(83) 158

“(2) The Review Committee shall consist of the following ex-officio members, namely:-

- (i) the Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi. ...Chairman
- (ii) the Principal Secretary or the Secretary in the Home Department, National Capital Territory of Delhi.Member
- (iii) the Secretary, Law and Judicial Department, Government of National Capital Territory of Delhi.Member.”.

7. In the said Act, in section 18, in sub-section (1), for the words “Superintendent of Police”, the words “Deputy Commissioner of Police” shall be substituted.

8. In the said Act, in section 23,--

- (a) in sub-section (1),--
 - (i) in clause (a), for the words “Deputy Inspector General of Police”, the words “Additional Commissioner of Police” shall be substituted;
 - (ii) in clause (b), for the words “Deputy Superintendent of Police”, the words “Assistant Commissioner of Police” shall be substituted;
- (b) in sub-section (2), for the words “Additional Director General of Police”, the words “Additional Commissioner of Police” shall be substituted.

9. In the said Act, in section 27, in sub-section (2), for the words “the State Legislature”, the word “Parliament” shall be substituted.

10. In the said Act, in section 29,--

- (i) in sub-section (1), for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted;
- (ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be, without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

11. Section 30 of the said Act shall be omitted.

[F.No. U-11015/1/2001-UTL(206)]

P.K. JALALI, Jt. Secy.

ANNEXURE

MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 1999.

(First published, after having received the assent of the President in the "Maharashtra Government Gazette", on the 24th April 1999.)

An Act to make special provisions for prevention and control of, and for coping with, criminal activity by organized crime syndicate or gang, and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS it was expedient to make special provisions for prevention and control of, and for coping with, criminal activity by organized crime syndicate or gang, and for matters connected therewith or incidental thereto;

AND WHEREAS both Houses of the State Legislature were not in session;

AND WHEREAS the Governor of Maharashtra was satisfied that circumstances existed which rendered it necessary for him to take immediate action to make a law, for the purposes aforesaid; and therefore, promulgated the Maharashtra Control of Organised Crime Ordinance, 1999, on the 24th February 1999;

Mah.
Ord.
III of
1999.

AND WHEREAS it is expedient to replace the said Ordinance by an Act of the State Legislature; It is hereby enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short
title, extent
and
commence-
ment.

1. (1) This Act may be called the Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999.

(2) It extends to the whole of the State of Maharashtra.

(3) It shall be deemed to have come into force on the 24th February 1999.

Definition

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "abet", with its grammatical variations and cognate expressions, includes,—

(i) the communication or association with any person with the actual knowledge or having reason to believe that such person is engaged in assisting in any manner, an organised crime syndicate;

(ii) the passing on or publication of, without any lawful authority, any information likely to assist the organised crime syndicate and the passing on or publication of or distribution of any document or matter obtained from the organised crime syndicate; and

(iii) the rendering of any assistance, whether financial or otherwise, to the organised crime syndicate;

(b) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973;

(c) "Competent Authority" means the Competent Authority appointed under section 13;

(d) "continuing unlawful activity" means an activity prohibited by law for the time being in force, which is a cognizable offence punishable with imprisonment of three years or more, undertaken either singly or jointly, as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge-sheets have been filed before a competent Court within the preceding period of ten years and that Court has taken cognizance of such offence;

(e) "organised crime" means any continuing unlawful activity by an individual, singly or jointly, either as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate, by use of violence or threat of violence or intimidation or coercion, or other unlawful means, with the objective of gaining pecuniary benefits, or gaining undue economic or other advantage for himself or any other person or promoting insurgency;

(f) "organised crime syndicate" means a group of two or more persons who, acting either singly or collectively, as a syndicate or gang indulge in activities of organised crime;

2 of
1974

(g) "Special Court" means the Special Court constituted under section 5.

(2) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them in the Code.

3. (1) Whoever commits an offence of organised crime shall,— Punishment
for
organised
crime.

(i) if such offence has resulted in the death of any person, be punishable with death or imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees one lac;

(ii) in any other case, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees five lacs.

(2) Whoever conspires or attempts to commit or advocates, abets or knowingly facilitates the commission of an organised crime or any act preparatory to organised crime, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees five lacs.

(3) Whoever harbours or conceals or attempts to harbour or conceal, any member of an organised crime syndicate shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees five lacs.

(4) Any person who is a member of an organised crime syndicate shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to a fine, subject to a minimum fine of rupees five lacs.

(5) Whoever holds any property derived or obtained from commission of an organised crime or which has been acquired through the organised crime syndicate funds shall be punishable with a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine, subject to a minimum fine of rupees two lacs.

4. If any person on behalf of a member of an organised crime syndicate is, or, at any time has been, in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine, subject to a minimum fine of rupees one lac and such property shall also be liable for attachment and forfeiture, as provided by section 20. Punishment
for
possessing
unaccountable
wealth on
behalf of
member of
organised
crime
syndicate.

5. (1) The State Government may, by notification in the *Official Gazette*, constitute one or more Special Courts for such area or areas, or for such case or class or group of cases, as may be specified in the notification. Special
Courts.

(2) Where any question arises as to the jurisdiction of any Special Court, it shall be referred to the State Government whose decision shall be final.

(3) A Special Court shall be presided over by a judge to be appointed by the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the Bombay High Court. The State Government may also appoint, with the concurrence of the Chief Justice of the Bombay High Court, additional judges to exercise jurisdiction in a Special Court.

(4) A person shall not be qualified for appointment as a judge or an additional judge of a Special Court, unless he immediately before such appointment, is a sessions judge or an additional sessions judge.

(5) Where any additional judge is or additional judges are appointed in a Special Court, the judge of the Special Court may, from time to time, by general or special order in writing, provide for the distribution of the business of the Special Court among himself and the additional judge or additional judges and also for the disposal of urgent business in the event of his absence or the absence of any additional judges.

Jurisdiction
of Special
Court.

6. Notwithstanding anything contained in the Code, every offence punishable under this Act shall be triable only by the Special Court within whose local jurisdiction it was committed, or as the case may be, by the Special Court constituted for trying such offence under subsection (1) of section 5.

Power of
Special
Courts with
respect to
other
offences.

7. (1) When trying any offence punishable under this Act, a Special Court may also try any other offence with which the accused may, under the Code, be charged at the same trial, if the offence is connected with such other offence.

(2) If, in the course of any trial of any offence under this Act, it is found that the accused person has committed any other offence under this Act or under any other law, the Special Court may convict such person of such other offence and may pass any sentence authorised by this Act or, as the case may be, such other law, for the punishment thereof.

Public
Prosecutor.

8. (1) For every Special Court, the State Government shall appoint a person to be the Public Prosecutor and may appoint one or more persons to be the Additional Public Prosecutor or Additional Public Prosecutors :

Provided that, the State Government may also appoint for any case or group of cases, a Special Public Prosecutor.

(2) A person shall not be qualified to be appointed as a Public Prosecutor, an Additional Public Prosecutor or a Special Public Prosecutor unless he has been in practice as an Advocate for not less than ten years.

(3) Every person appointed as a Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor or Special Public Prosecutor under this section shall be deemed to be a Public Prosecutor within the meaning of clause (u)

of section 2 of the Code, and the provisions of the Code shall have effect accordingly.

9. (1) A Special Court may take cognizance of any offence without the accused being committed to it for trial, upon receiving a complaint of facts which constitute such offence or upon a police report of such facts.

Procedure and powers of Special Court.

(2) Where an offence triable by a Special Court is punishable with imprisonment for a term not exceeding three years or with fine or with both, the Special Court may, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 260 or section 262 of the Code, try the offence in a summary way in accordance with the procedure prescribed in the Code and the provisions of sections 263 to 265 of the Code shall, as far as may be, apply to such trial :

Provided that, where in the course of a summary trial under this sub-section, it appears to the Special Court that the nature of the case is such that it is undesirable to try in a summary way, the Special Court shall recall any witnesses who may have been examined and proceed to re-hear the case in the manner provided by the provisions of the Code for the trial of such offence and the said provisions shall apply to and in relation, to a Special Court as they apply to and in relation, to a Magistrate :

Provided further that, in case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for a Special Court to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding two years.

(3) A Special Court may, with a view to obtaining the evidence of any person, supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to an offence, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relative to the offence and to every other person concerned, whether as principal or abettor, in the commission thereof, and any pardon so tendered shall, for the purposes of section 308 of the Code, be deemed to have been tendered under section 307 thereof.

(4) Subject to other provisions of this Act, a Special Court shall, for the purpose of trial of any offence, have all the powers of a Court of Session and shall try such offence as if it were a Court of Session, so far as may be, in accordance with the procedure prescribed in the Code for the trial before a Court of Session.

10. The trial of any offence under this Act by a Special Court shall have precedence over the trial of any other case against the accused in any other Court (not being a Special Court) and shall be concluded in preference of the trial of such other case and accordingly the trial of such other cases shall remain in abeyance.

Trial by Special Courts to have precedence.

11. Where, after taking cognizance of an offence, a Special Court is of the opinion that the offence is not triable by it, it shall, notwithstanding that it has no jurisdiction to try such offence, transfer the case for trial of such offence to any Court having jurisdiction under

Power to transfer cases to regular Courts.

the Code and the Court to which the case is transferred may proceed with the trial of the offence as if it had taken cognizance of the offence.

Appeal. 12. (1) Notwithstanding anything contained in the Code, an appeal shall lie from any judgement, sentence or order, not being an interlocutory order, of a Special Court to the High Court.

(2) Every appeal under this section shall be preferred within thirty days from the date of the judgement, sentence or order.

Appointment of Competent Authority. 13. The State Government may appoint any of its officer, in Home Department, not below the rank of Secretary to Government, to be the Competent Authority for the purposes of section 14.

Authorisation of interception of wire, electronic or oral communication. 14. (1) A police officer not below the rank of Superintendent of Police supervising the investigation of an organised crime under this Act may submit an application in writing to the Competent Authority for an order authorising or approving the interception of wire, electronic or oral communication by the investigating officer when such interception may provide or has provided evidence of any offence involving an organised crime.

(2) Each application shall include the following information:—

(a) the identity of the investigative or law enforcement officer making the application, and the head of the department authorizing the application;

(b) a statement of the facts and circumstances relied upon by the applicant, to justify his belief that an order should be issued, including—

(i) details as to the offence of organised crime that has been, is being, or is about to be committed;

(ii) a particular description of the nature and location of the facilities from which or the place where the communication is to be intercepted;

(iii) a particular description of the type of communications sought to be intercepted; and

(iv) the identity of the person, if known, committing the offence of organised crime whose communications are to be intercepted;

(c) a statement as to whether or not other modes of enquiry or intelligence gathering have been tried and failed or why they reasonably appear to be unlikely to succeed if tried or to be too dangerous or is likely to expose the identity of those connected with the operation of interception;

(d) a statement of the period of time for which the interception is required to be maintained. If the nature of the enquiry is such that the authorization for interception should not automatically terminate when the described type of communication has been first obtained, a particular description of facts establishing probable cause to believe that additional communications of the same type will occur thereafter;

(e) a statement of the facts concerning all previous applications known to the individual authorizing and making the application, made to the Competent Authority for authorization to intercept, or for approval of interceptions of, wire, electronic or oral communications involving any of the same persons, facilities or places specified in the application and the action taken by the Competent Authority on each such application; and

(f) where the application is for the extension of an order, a statement setting forth the results thus far obtained from the interception, or a reasonable explanation of the failure to obtain such results.

(3) The Competent Authority may require the applicant to furnish additional oral or documentary evidence in support of the application.

(4) Upon such application, the Competent Authority may after recording the reasons in writing reject the application, or issue an order, as requested or as modified, authorising or approving interception of wire, electronic or oral communications, if the Competent Authority determines on the basis of the facts submitted by the applicant that—

(a) there is a probable cause for belief that an individual is committing, has committed, or is about to commit a particular offence described and made punishable under sections 3 and 4 of this Act;

(b) there is a probable cause for belief that particular communications concerning that offence will be obtained through such interception;

(c) normal modes of enquiry and intelligence gathering have been tried and have failed or reasonably appear to be unlikely to succeed, if tried or to be too dangerous or is likely to expose the identity of those connected with the operation of interception;

(d) there is probable cause for belief that the facilities from which, or the place where, the wire, electronic or oral communications are to be intercepted or be used or are about to be used, in connection with the commission of such offence, leased to, or are listed in the name of or commonly used by such person.

(5) Each order by the Competent Authority authorizing or approving the interception of any wire, electronic or oral communication under this section shall specify—

(a) the identity of the person, if known, whose communications are to be intercepted;

(b) the nature and location of the communication facilities as to which, or the place where, authority to intercept is granted;

(c) a particular description of the type of communication sought to be intercepted, and a statement of the particular offence to which it relates;

(d) the identity of the agency authorized to intercept the communications, and of the person authorizing the application; and
(e) the period of time during which such interception is authorized, including a statement as to whether or not the interception shall automatically terminate when the described communication has been first obtained.

(6) The Competent Authority shall immediately after passing the order under sub-section (4), but in any case not later than seven days from the passing of the order, submit a copy of the same to the Review Committee constituted under section 15 alongwith all the relevant underlying papers, record and his own findings, etc., in respect of the said order, for consideration and approval of the order by the Review Committee.

(7) An order authorizing the interception of a wire, electronic or oral communication under this section shall, upon request of the applicant, direct that a provider of wire or electronic communication service, landlord, custodian or other person shall furnish to the applicant forthwith all information, facilities, and technical assistance necessary to accomplish the interception unobtrusively and with a minimum of interference with the services that such service provider, landlord, custodian, or person is providing to the person whose communications are to be intercepted.

(8) No order issued under this section may authorize or approve the interception of any wire, electronic or oral communication for any period longer than is necessary to achieve the objective of the authorization, nor in any event longer than sixty days. Such sixty days period shall begin on the day immediately preceding the day on which the investigative or law enforcement officer first begins to conduct an interception under the order or ten days after the order is issued, whichever is earlier. Extension of an order may be granted, but only upon an application for an extension is made in accordance with sub-section (1) and the Competent Authority making the findings required by sub-section (4). The period of extension shall be no longer than the Competent Authority deems necessary to achieve the purposes for which it was granted and in no event for longer than sixty days at a time. Every order and extension thereof shall contain a provision that the authorization to intercept shall be executed as soon as practicable and shall be conducted in such a way or manner as to minimize the interception of communications not otherwise subject to interception under this section and must terminate upon attainment of the authorized objective, or in any event on expiry of the period of order. In the event the intercepted communication is in a code or foreign language, and an expert in that foreign language or code is not reasonably available during the interception period, minimization may be accomplished as soon as practicable after such interception. An interception under this section may be conducted in whole or in part by public servant, or by an individual operating under a contract with

the State Government, acting under the supervision of the investigative or law enforcement officer authorized to conduct the interception.

(9) Whenever an order authorizing interception is issued pursuant to this section, the order may require reports to be made to the Competent Authority who issued the order showing that progress has been made towards achievement of the authorized objective and the need for continued interception. Such reports shall be made at such intervals as the Competent Authority may require.

(10) Notwithstanding anything contained in any other provision of this section, an Officer not below the rank of Additional Director General of Police who reasonably determines that—

(a) an emergency situation exists that involves—

(i) immediate danger of death or serious physical injury to any person;

(ii) conspiratorial activities threatening the security or interest of the State; or

(iii) conspiratorial activities, characteristic of organized crime, that requires a wire, electronic or oral communication to be intercepted before an order from the Competent Authority authorizing such interception can, with due diligence, be obtained, and

(b) there are grounds upon which an order could be issued under this section to authorize such interception,

may authorise, in writing, the investigating Police Officer to intercept such wire, electronic or oral communication, if an application for an order approving the interception is made in accordance with the provisions of sub-sections (1) and (2) within forty-eight hours after the interception has occurred, or begins to occur.

(11) In the absence of an order approving the interception made under sub-section (10), such interception shall immediately terminate when the communication sought is obtained or when the application for the order is rejected, whichever is earlier. In the event where an application for permitting interception is rejected under sub-section (4) or an application under sub-section (10) for approval is rejected, or in any other case where the interception is terminated without an order having been issued, the contents of any wire, electronic or oral communication intercepted shall be treated as having been obtained in violation of this section.

(12) (a) The contents of any wire, electronic or oral communication intercepted by any means authorized by this section shall, if possible, be recorded on tape or wire or other comparable device. Recording of the contents of any wire, electronic or oral communication under this sub-section shall be done in such a way as will protect the recording from editing or other alterations. Immediately upon the expiration of

the period of order, or extension thereof, such recordings shall be made available to the Competent Authority issuing such order and shall be sealed under his directions. Custody of the recordings shall be wherever the Competent Authority orders. They shall not be destroyed except upon an order of the Competent Authority and in any event shall be kept for ten years.

(b) Applications made and orders issued under this section shall be sealed by the Competent Authority. Custody of the applications and orders shall be wherever the Competent Authority directs, and shall not be destroyed except on an order of the Competent Authority, and in any event shall be kept for ten years.

The Competent Authority upon the filing of a motion, may in his discretion make available to such person or his counsel for inspection such portions of the intercepted communications, applications and orders as the Competent Authority determines to be in the interest of justice.

(13) Notwithstanding anything in the Code or in any other law for the time being in force, the evidence collected through the interception of wire, electronic or oral communication under this section shall be admissible as evidence against the accused in the Court during the trial of a case:

Provided that, the contents of any wire, electronic or oral communication intercepted pursuant to this section or evidence derived therefrom shall not be received in evidence or otherwise disclosed in any trial, hearing or other proceeding in any court unless each party, not less than ten days before trial, hearing or proceeding, has been furnished with a copy of the order of the Competent Authority, and accompanying application, under which the interception was authorised or approved:

Provided further that, this ten days period may be waived by the judge, trying the matter, if he finds that it was not possible to furnish the party with the above information ten days before the trial, hearing or proceeding and that the party will not be prejudiced by the delay in receiving such information.

Explanation.—For the purposes of this section—

(a) 'wire communication' means any aural transfer made in whole or part through the use of facilities for the transmission of communications by the aid of wire, cable or other like connection between the point of origin and the point of connection, between the point of origin and the point of reception (including the use of such connection in switching station) and such term includes any electronic storage of such communication;

(b) 'oral communication' means any oral communication uttered by a person exhibiting an expectation that such communication is not subject to interception under circumstances justifying such expectation but such term does not include any electronic communication;

(c) 'electronic communication' means any transfer of signs, signals, writings, images, sounds, data or intelligence of any nature transmitted in whole or in part by a wire, radio, electromagnetic, photo electronic or photo-optical system that affects inland or foreign commerce but does not include,—

(i) the radio portion of a cordless telephone communication that is transmitted between the wireless telephone hand-set and the base unit;

(ii) any wire or oral communication;

(iii) any communication made through a tone only paging device; or

(iv) any communication from a tracking device;

(d) 'intercept' means the aural or other acquisition of the contents by wire, electronic or oral communication through the use of any electronic, mechanical or other device.

15. (1) There shall be a Review Committee to review every order passed by the Competent Authority under section 14.

(2) The Review Committee shall consist of the following *ex officio* members, namely :—

(i) the Chief Secretary to Government *Chairman.*

(ii) the Additional Chief Secretary or the senior-most Principal Secretary, as the case may be, in the Home Department. *Member.*

(iii) Principal Secretary or Secretary and Remembrancer of Legal Affairs, Law and Judiciary Department. *Member.*

(3) Every order passed by the Competent Authority under section 14, placed before the Review Committee, shall be considered by the Review Committee within ten days after its receipt, to decide whether the order, authorising or approving the application under sub-section (4) of section 14, for interception or disapproving the interception made under sub-section (10) of that section in emergency situation, passed by the Competent Authority was necessary, reasonable and justified.

(4) The Review Committee, after examining the entire record and holding such enquiry, if any, deemed necessary may, by order in writing, either approve the order passed by the Competent Authority or may issue order disapproving the same. On issue of an order of disapproval by the Review Committee, the interception, if any, already commenced shall be forthwith discontinued. The intercepted

Constitution
of Review
Committee
for review
of
authorisation
orders.

communication, if any, in the form of tape, wire or other device shall, thereupon, not be admissible as evidence in any case and shall be directed to be destroyed.

Interception and disclosure of wire, electronic or oral communications prohibited.

16. Except as otherwise specifically provided in section 14, any police officer who—

(a) intentionally intercepts, endeavours to intercept, or procures any other person to intercept or endeavour to intercept any wire, electronic or oral communication;

(b) intentionally uses, endeavours to use, or procures any other person to use or endeavours to use any electronic, mechanical or other device to intercept any oral communication when—

(i) such device is affixed to, or otherwise transmits a signal through a wire, cable, or other like connection used in wire communication; or

(ii) such device transmits communications by radio, or interferes with the transmission of such communication;

(c) intentionally discloses, or endeavours to disclose, to any other person the contents of any wire, electronic or oral communication, knowing or having reason to know that the information was obtained through the interception of a wire, electronic or oral communication in violation of this sub-section;

(d) intentionally uses, or endeavours to use, the contents of any wire, electronic or oral communication, knowing or having reason to know that the information was obtained through the interception of a wire, electronic or oral communication in violation of this sub-section; or

(e) (i) intentionally discloses, or endeavours to disclose, to any other person the contents of any wire, electronic or oral communication, intercepted by means authorized by section 14;

(ii) knowing or having reason to know that the information was obtained through the interception of such a communication in connection with a criminal investigation under this Act;

(iii) having obtained or received the information in connection with a criminal investigation; and

(iv) with intent to improperly obstruct, impede, or interfere with a duly authorised criminal investigation; or

(f) intentionally continues the interception of wire, electronic or oral communication after the issue of an order of disapproval by the Review Committee under sub-section (4) of section 15,

shall for such violation be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine upto rupee fifty thousand.

Special Rules of evidence.

17. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code, or the Indian Evidence Act, 1872, for the purposes of trial and punishment for offences under this Act or connected offences, the Court

I of 1872.

17

may take into consideration as having probative value, the fact that the accused was,—

(a) on any previous occasion bound under section 107 or section 110 of the Code;

(b) detained under any law relating to preventive detention; or

(c) on any previous occasion was prosecuted in the Special Court under this Act.

(2) Where it is proved that any person involved in an organised crime or any person on his behalf is or has at any time been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for, the Special Court shall, unless contrary is proved, presume that such property or pecuniary resources have been acquired or derived by his illegal activities.

(3) Where it is proved that the accused has kidnapped or abducted any person, the Special Court shall presume that it was for ransom.

I of 1872. 18. (1) Notwithstanding anything in the Code or in the Indian Evidence Act, 1872, but subject to the provisions of this section, a confession made by a person before a police officer not below the rank of the Superintendent of Police and recorded by such police officer either in writing or on any mechanical devices like cassettes, tapes or sound tracks from which sounds or images can be reproduced, shall be admissible in the trial of such person or co-accused, abettor or conspirator;

Certain confessions made to police officer to be taken into consideration.

Provided that, the co-accused, abettor or conspirator is charged and tried in the same case together with the accused.

(2) The confession shall be recorded in a free atmosphere in the same language in which the person is examined and as narrated by him.

(3) The police officer shall, before recording any confession under sub-section (1), explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that, if he does so, it may be used as evidence against him and such police officer shall not record any such confession unless upon questioning the person making it, he is satisfied that it is being made voluntarily. The concerned police officer shall, after recording such voluntary confession, certify in writing below the confession about his personal satisfaction of the voluntary character of such confession, putting the date and time of the same.

(4) Every confession recorded under sub-section (1) shall be sent forthwith to the Chief Metropolitan Magistrate or the Chief Judicial Magistrate having jurisdiction over the area in which such confession has been recorded and such Magistrate shall forward the recorded confession so received to the Special Court which may take cognizance of the offence.

(5) The person from whom a confession has been recorded under sub-section (1) shall also be produced before the Chief Metropolitan Magistrate or the Chief Judicial Magistrate to whom the confession is required to be sent under sub-section (4) alongwith the original

statement of confession, written or recorded on mechanical device without unreasonable delay.

(6) The Chief Metropolitan Magistrate or the Chief Judicial Magistrate shall scrupulously record the statement, if any, made by the accused so produced and get his signature and in case of any complaint of torture, the person shall be directed to be produced for medical examination before a Medical Officer not lower in rank than of an Assistant Civil Surgeon.

Protection of witnesses.

19. (1) Notwithstanding anything contained in the Code, the proceedings under this Act may be held *in Camera*, if the Special Court so desires.

(2) A Special Court may, on an application made by a witness in any proceeding before it or by the Public Prosecutor in relation to such witness or on its own motion, take such measures as it deems fit for keeping the identity and address of any witness secret.

(3) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (2), the measures which a Special Court may take under that sub-section may include,—

(a) the holding of the proceedings at a place to be decided by the Special Court;

(b) the avoiding of the mention of the names and addresses of the witnesses in its orders or judgements or in any records of the case accessible to public;

(c) the issuing of any directions for securing that the identity and addresses of the witnesses are not disclosed;

(d) that, it is in the public interest to order that all or any of the proceedings pending before such a Court shall not be published in any manner.

(4) Any person who contravenes any direction issued under sub-section (3) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to one thousand rupees.

Forfeiture and attachment of property.

20. (1) Where a person has been convicted of any offence punishable under this Act, the Special Court may, in addition to awarding any punishment, by order in writing, declare that any property, movable or immovable or both, belonging to the accused and specified in the order, shall stand forfeited to the State Government, free from all encumbrances.

(2) Where any person is accused of any offence under this Act, it shall be open to the Special Court trying him, to pass an order that all or any properties, movable or immovable or both, belonging to him, shall, during the period of such trial, be attached, and where such trial ends in conviction, the properties so attached shall stand forfeited to the State Government, free from all encumbrances.

173

(3) (a) If, upon a report in writing made by an investigating police officer with the approval of the supervisory officer referred to in sub-section (1) of section 14, any Special Court has reason to believe that any person, who has committed an offence punishable under this Act has absconded or is concealing himself so that he may not be apprehended, such Court may, notwithstanding anything contained in section 82 of the Code, publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time not less than fifteen days but not more than thirty days from the publication of such proclamation :

Provided that, if the investigating police officer concerned fails to arrest the accused, who has absconded or is concealing himself, within a period of three months from the date of registering the offence against such person, the officer shall, on the expiry of the said period, make a report to the Special Court for issuing the proclamation.

(b) The Special Court issuing a proclamation under clause (a) may, at any time, order the attachment of any property, movable or immovable or both, belonging to the proclaimed person, and thereupon the provisions of sections 83 to 85 of the Code shall apply to such attachment as if such attachment were made under that Code.

(c) If, within six months from the date of attachment, any person, whose property is, or has been, at the disposal of the State Government under sub-section (2) of section 85 of the Code, appears voluntarily or is apprehended and brought before the Special Court by whose order the property was attached, or the Court to which such Court is subordinate, and proves to the satisfaction of such Court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding apprehension and that he had not received such notice of the proclamation as to enable him to attend within the specified time therein, such property or, if the same has been sold, the net proceeds of the same and the residue of the property, shall, after satisfying therefrom all costs incurred in consequence of the attachment, be delivered to him.

21. (1) Notwithstanding anything contained in the Code or in any other law, every offence punishable under this Act, shall be deemed to be a cognizable offence within the meaning of clause (c) of section 2 of the Code and "cognizable case" as defined in that clause shall be construed accordingly.

Modified application of certain provisions of the Code.

(2) Section 167 of the Code shall apply in relation to a case involving an offence punishable under this Act subject to the modifications that, in sub-section (2),—

(a) the references to "fifteen days", and "sixty days", wherever they occur, shall be construed as references to "thirty days" and "ninety days", respectively ;

(b) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that if it is not possible to complete the investigation within the said period of ninety days, the Special Court shall extend the said period upto one hundred and eighty days, on the report of the Public Prosecutor indicating the progress of the investigation and the specific reasons for the detention of the accused beyond the said period of ninety days.”

(3) Nothing in section 438 of the Code shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence punishable under this Act.

(4) Notwithstanding anything contained in the Code, no person accused of an offence punishable under this Act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond, unless—

(a) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the application of such release; and

(b) where the Public Prosecutor opposes the application, the Court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.

(5) Notwithstanding anything contained in the Code, the accused shall not be granted bail if it is noticed by the Court that he was on bail in an offence under this Act, or under any other Act, on the date of the offence in question.

(6) The limitations on granting of bail specified in sub-section (4) are in addition to the limitations under the Code or any other law for the time being in force on the granting of bail.

(7) The police officer seeking the custody of any person for pre-indictment or pre-trial interrogation from the judicial custody shall file a written statement explaining the reason for seeking such custody and also for the delay, if any, in seeking the police custody.

22. (1) In a prosecution for an offence of organised crime punishable under section 3, if it is proved—

(a) that unlawful arms and other material including documents or papers were recovered from the possession of the accused and there is reason to believe that such unlawful arms and other material including documents or papers were used in the commission of such offence; or

(b) that by the evidence of an expert, the finger prints of the accused were found at the site of the offence or on anything including unlawful arms and other material including documents or papers and vehicle used in connection with the commission of such offence, the Special Court shall presume, unless the contrary is proved, that the accused had committed such offence.

Presumption
as to
offences
under
section 3.

125

(2) In a prosecution for an offence of organised crime punishable under sub-section (2) of section 3, if it is proved that the accused rendered any financial assistance to a person accused of, or reasonably suspected of, an offence of organised crime, the Special Court shall presume, unless the contrary is proved, that such person has committed the offence under the said sub-section (2).

23. (1) Notwithstanding anything contained in the Code,—

Cognizance of, and investigation into, an offence.

(a) no information about the commission of an offence of organised crime under this Act, shall be recorded by a police officer without the prior approval of the police officer not below the rank of the Deputy Inspector General of Police;

(b) no investigation of an offence under the provisions of this Act shall be carried out by a police officer below the rank of the Deputy Superintendent of Police.

(2) No Special Court shall take cognizance of any offence under this Act without the previous sanction of the police officer not below the rank of Additional Director General of Police.

24. Whoever being a public servant renders any help or support in any manner in the commission of organised crime as defined in clause (e) of section 2, whether before or after the commission of any offence by a member of an organised crime syndicate or abstains from taking lawful measures under this Act or intentionally avoids to carry out the directions of any Court or of the superior police officers in this respect, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and also with fine.

Punishment for public servants failing in the discharge of their duties.

25. The provisions of this Act or any rule made thereunder or any order made under any such rule shall, have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having the force of law.

Overriding effect.

26. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer or authority of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made thereunder or any order issued under any such rule.

Protection of action taken in good faith.

27. (1) The State Government shall cause an annual report to be prepared giving a full account of,—

Annual Report of Interceptions.

(i) the number of applications for authorisation of interceptions received by the Competent Authority from the Police Department in which prosecutions have been launched;

(ii) the number of such applications permitted or rejected;

(iii) the number of interceptions carried out in emergency situations and the number of *ex-post-facto* authorisations or approvals granted or rejected in such matters;

(iv) the number of prosecutions launched based on such interceptions and convictions resulting from such interceptions, along with an explanatory memorandum giving general assessment of the utility and importance of the interceptions authorised.

(2) Such annual report shall be laid by the State Government before each House of the State Legislature within three months of the completion of every calendar year :

Provided that, if the State Government is of the opinion that the inclusion of any matter in the annual report would be prejudicial to the security of the State or to the prevention or detection of any organised crime, the State Government may exclude such matter from being included in such annual report.

Power of High Court to make rules. 28. The High Court may, by notification in the *Official Gazette*, make such rules as it may deem necessary for carrying out the provisions of this Act relating to the Special Courts.

Powers of State Government to make rules. 29. (1) Without prejudice to the powers of the High Court to make rules under section 28, the State Government may, by notification in the *Official Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, and notify such decision in the *Official Gazette*, the rule shall, from the date of publication of such notification, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Repeal of Mah. Ord. III of 1999 and saving. 30. (1) The Maharashtra Control of Organised Crime Ordinance, 1999 is hereby repealed. Mah. Ord. III of 1999.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken, as the case may be, under the corresponding provisions of this Act. 35

(ii) the number of prosecutions instituted based on such interceptions, and convictions resulting from such interceptions, along with an explanatory memorandum giving general assessment of the utility and importance of the interceptions, and

(13) Such annual report shall be laid by the State Government before each House of the State Legislature within three months of the completion of every other year.

Provided that if the State Government is of the opinion that the inclusion of any matter in the annual report would be prejudicial to the interests of the State or in the interests of the Government of any State, the State Government may exclude such matter from the report in such annual report.

27. (1) The High Court may, by notification in the Official Gazette, make such rules as may be necessary for carrying out the provisions of this Act relating to the High Court.

28. (1) Without prejudice to the power of the High Court to make rules under section 27, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if it is not passed in both Houses before the expiration of the session in which it is so made, it shall, if passed in one House before the expiration of the session in which it is so made, be made and notified such notification in the Official Gazette, and shall, from the date of publication of such notification, have effect as if it had been passed in both Houses, but if it is not passed in both Houses before the expiration of the session in which it is so made, it shall, if passed in one House before the expiration of the session in which it is so made, be made and notified such notification in the Official Gazette, and shall, from the date of publication of such notification, have effect as if it had been passed in both Houses, but if it is not passed in both Houses before the expiration of the session in which it is so made, it shall, if passed in one House before the expiration of the session in which it is so made, be made and notified such notification in the Official Gazette, and shall, from the date of publication of such notification, have effect as if it had been passed in both Houses.

30. (1) The Maharashtra Control of Opium Act, 1958, as amended, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken as the case may be, under the corresponding provisions of this Act.

Power of High Court to make rules

Power of State Government to make rules

Repeal of Mah. Op. Act, 1958